सिटिजन चार्टर

I रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड का मिशन हैः

ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति तेज करने के लिए बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना

देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्तपोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए प्रतिस्पर्धात्मक एवं ग्राहक-हितैषी विकास परक संस्था के रूप में कार्य करना।

II उद्देश्य

उपर्युक्तमिशन को आगे बढ़ाते हुए निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैः-

- समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों को बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर बल देते हुए विद्युत वितरण की परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्त पोषित करना एवं ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाओं और आवास विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम तथा भारत सरकार की अन्य स्कीमों का सहमत शर्तों पर कार्यान्वयन करना।

- दूर दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जन जातीय, तटवर्ती एवं अन्य कठिन/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन, नए एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्श सेवाएं, पारेषण, उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण एवं अनुरक्षण और आधुनिकीकरण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधता लाना।

- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत इकाइयों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।

- निगम के प्रचालनों हेतु आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिलाभ की अधिकाधिक दर प्राप्त करना, साथ ही निम्नलिखित निगमित लक्ष्य पूरे करना जैसे - (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना (ii) बिजली की मांग का विकास (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास, और (iv) टेक्नालॉजी प्रोन्नत करना।

- प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास और आत्म सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।

- आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटीलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

।।। कारपोरेशन के उन मुख्य ग्राहकों की सूची नीचे दी गई है जिनको सेवा प्रदान करने के लिए कारपोरेशन प्रतिबद्ध हैः

(क) राज्य विद्युत बोर्ड
(ख) राज्य सरकारें
(ग) केंद्रीय/राज्य विद्युत संगठन
(घ) स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपी)
(ङ) ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियां
(च) निजी क्षेत्र के निवेशक

उपर्युक्त ग्राहकों से विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित व्यवहार्य परियोजनाएं कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों के अध्याधीन वित्तपोषण की पात्र होंगी।

(IV) कारपोरेशन द्वारा अपने ग्राहकों के लिए प्रस्तावित वित्तपोषण सेवाएं :

कारपोरेशन अपने ग्राहकों को ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए वित्तीय सहायता प्रस्तावित करता है।

(क) पारेषण और वितरण स्कीमें

(i) पीःआई ई (गहन विद्युतीकरण)

इन परियोजनाओं के अंतर्गत उन गांवों के गहन विद्युतीकरण के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है जहां पहले से बिजली उपलब्ध है (क्योंकि नए गांवों के विद्युतीकरण का कार्य राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है) इसका लक्ष्य इलेक्ट्रिकल लोड को बढ़ाकर ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में सहायता देना है।

(ii) एसपीएः पीई (विशेष परियोजना कृषि : पंपसेट ऊर्जायन)

ये विशेष परियोजनाएं है जिनका लक्ष्य पंपसेटों के ऊर्जायन के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ाना है।

(iii) पीः एसआई (तंत्र सुधार)

इन परियोजनाओं में प्रणाली सुधार संबंधी कार्यों यथा नए पावर सब-स्टेशन बनाना, वर्तमान पावर - सब - स्टेशन में वृद्धि करना, वर्तमान सब ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों को सुदृढ़ बनाना ताकि आपूर्ति की गुणवत्ता को सुधारा जा सके और लाइन क्षतियों में कमी लाई जा सके। इस प्रकार संरक्षित बिजली के वितरण द्वारा अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा।

(iv) एसआई (मीटर/ट्रांसफार्मर/कंडक्टर)

परियोजनाओं की इस श्रेणी के अंतर्गत ग्राहकों को महत्वपूर्ण सामग्री जैसे मीटर, ट्रांसफार्मर, कंडक्टर और कपैसिटर आदि की थोक खरीदारी के लिए ऋण सहायता मिल सकती है।

उपर्युक्त सेवाएं (टी एंड डी) प्रदान करने का सामान्य नियत समय

वित्त, ब्याज दर आदि की शर्तों के विषय में विभिन्न राज्यों की राजधानियों और प्रमुख नगरों में स्थित हमारे जोनल/परियोजना कार्यालयों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक जोनल/परियोजना कार्यालय में परियोजनाओं के मूल्यांकन और मॉनीटरिंग के लिए समुचित संख्या में व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं और यह कार्यालय एक जोनल प्रबंधक/मुख्य परियोजना प्रबंधक की अध्यक्षता में कार्य करता है। ऐसे कार्यालयों की अवस्थिति की सूचना चार्टर के साथ लगाई गई है।

सामान्यतया परियोजनाएं सबसे पहले जोनल/परियोजना कार्यालयों में प्राप्त की जाती हैं और इसकी सिफारिश के साथ इन्हें कारपोरेट कार्यालय के पास भेजे जाने से पहले उनकी जांच/मूल्यांकन की जाती है।

इसके बाद परियोजनाओं को कारपोरेट कार्यालय में संसाधित किया जाता है और मंजूरी के लिए सक्षम आधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाता है। परियोजना मंजूर हो जाने के बाद कारपोरेट कार्यालय जोनल/परियोजना कार्यालय को अनुमोदन भेजता है जो आगे ऋण सहायता की शर्तों के साथ इसकी मंजूरी की सूचना ग्राहक को देता है।

इसके बाद ग्राहक के लिए यह बाध्यकारी हो जाता है कि वह लिखित में अपनी स्वीकृति भेजें और जेड एम/सीपीएम के साथ तथा स्वीकार्य प्रतिभूति एवं भुगतान प्रतिभूति तंत्र के साथ कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत करें। सामान्यतया परियोजना को प्रस्तावित करने से लेकर ऋण की मंजूरी का अनुमोदन होने तक के मुख्य कार्यकलापों में लगने वाले समय का उल्लेख नीचे किया गया है:

श्रेणी	परियोजना कार्यालय में जांच/प्रसंस्करण	कारपोरेट कार्यालय में जांच/प्रसंस्करण	आंतरिक समिति/वित्तीय सहायता/स्क्रीनिंग समिति द्वारा जांच	सीएमडी की मंजूरी
टी एंव डी स्कीमें	1 माह	1 माह	15 दिन	5 दिन या जहां निदेशक बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है, निदेशक बोर्ड की अगली बैठक तक

कारपोरेट कार्यालय द्वारा जोनल/परियोजना कार्यालय को मंजूरी की सूचना देने और फिर ग्राहक को यह सूचना दिए जाने में लगभग 10 दिन का समय लग जाता है।

सारे कानूनी दस्तावेज (प्रतिभूति और भुगतान मकेनिज्म के साथ) प्राप्त होने के बाद जेड एम/सीपीएम एक सप्ताह के भीतर इन दस्तावेजों की जांच करके इन पर हस्ताक्षर कर देता है और इस दावे को, यदि पात्र पाया जाता है, अग्रिम की राशि जारी करने के लिए कारपोरेट कार्यालय के पास भेज दिया जाता है।

बाद की किस्तों के मामले में (अल्पावधिक ऋण और सामग्री की खरीद संबंधी ऋणों को छोड़कर) दावों को फील्ड में ग्राहकों द्वारा सूचित वास्तविक कार्य प्रगति के आधार पर जांचा जाता है। परियोजना कार्यालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किए जाने के बाद राशि जारी करने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगता है। अंतिम किस्त के मामले में, परियोजना कार्यालय कभी-कभी फील्ड में जाकर सत्यापन करता है जिससे दावे की सिफारिश करने में 4 से 6 सप्ताह तक लग जाते हैं।

मोटे तौर पर उक्त समय सूची इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि ग्राहक सभी परियोजना रिपोर्टों और संबंधित दस्तावेजों को आरईसी द्वारा अपेक्षित रूप में और हर दृष्टि से पूरा भरकर प्रस्तुत करेगा।

(ख) अल्पावधिक ऋण

कारपोरेशन विद्युतीकरण, टी एंड डी निर्माण कार्य, विद्युत उत्पादन, विद्युत वितरण और वितरण प्रणाली आदि में सूचना और प्रौद्योगिकी को अपनाए जाने के लिए सामग्री और उपस्करों की खरीद के लिए अल्पावधिक ऋण प्रदान करता है।

(ग) विद्युत (जेनरेशन) परियोजनाएं

आरईसी एसईबी/राज्य विद्युत संगठनों/निजी क्षेत्र को विद्युत उत्पादन परियोजनाओं जैसे हाइड्रो, थर्मल (कोयले और गैस आधारित), आर एंड एम, गैर-पारंपरिक, विकेंद्रीकृत वितरण उत्पादन आदि के लिए परियोजना के आकार या देश के भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तय सीमा के बिना निधि उपलब्ध कराता है। आरईसी विद्युत संबंधी परियोजनाओं हेतु अग्रणी वित्त प्रदाता/ऋण व्यवस्थापक की भूमिका भी निभा रहा है।

सी-1 उत्पादन परियोजनाओं के मूल्यांकन की पद्धति

i. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र/एसईबी और निजी आईपीपी के लिए विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु ऋण आवेदन, हमारे निर्धारित फार्मेट में इस कारपोरेट कार्यालय को प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें ऋण सहायता के मूल्यांकन और मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक दस्तावेजों की जांचसूची भी शामिल है। आवश्यक दस्तावेज सहित आवेदन पत्र जोनल/परियोजना कार्यालयों में भी प्राप्त किए जाते हैं जो इन पूर्ण दस्तावेजों को कारपोरेट कार्यालय को भेज देते हैं।

ii. विद्युत उत्पादन विंग में आवेदन प्राप्त होने पर अनिवार्य दस्तावेजों की मौजूदगी की जांच करने के लिए प्राथमिक संवीक्षा या प्रथम दृष्टया अध्ययन किया जाता है। पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध होते ही मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। निजी क्षेत्र के कर्जदारों से सामान्यतया परियोजना लागत के 0.1 प्रतिशत तक न लौटाया जाने वाला प्रसंस्करण शुल्क वसूल किया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है।

iii. परियोजना का मूल्यांकन और जांच द्वि-स्तरीय समिति पद्धति से किया जाता है।

iv. ऋण की राशि को ध्यान में रखते हुए परियोजना को या तो जांच समिति मंजूरी देती है या सीएमडी या फिर इसे निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। निजी क्षेत्र की सभी परियोजनाओं को ऋण सहायता के अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के पास भेजा जाता है।

v. सरकारी क्षेत्र के मामले में मंजूरी की सूचना जेडएम/सीपीएम को दी जाती है जो कर्ज पाने वाले संगठन को अनुमोदन पत्र जारी करता है। निजी आईपीपी के मामले में कारपोरेट कार्यालय सीधे उनको ही अनुमोदन पत्र जारी करता है।

vi. यद्यपि बड़ी परियोजनाओं के मामले में दस्तावेजों के गुणदोष और स्थिति के आधार पर समय लग जाता है, तथापि आरईसी का प्रयास रहता है कि परियोजनाओं को संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की तारीख से लगभग 120 दिन के भीतर मंजूरी दे दी जाए।

vii. जेडएम/सीपीएम मंजूरी पत्र में यथा निर्धारित शर्तों के अनुरूप परियोजना के ऋण प्रलेखन के लिए आवश्यक कदम उठाता है। निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के मामले ने ऋण प्रलेखन कार्य कारपोरेट कार्यालय करता है।

viii. दस्तावेज पूरा करते ही मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुरूप ऋण जारी कर दिया जाता है।

ix. स्कीम का मॉनीटरन जेडओ/पीओ और कारपोरेट कार्यालय द्वारा किया जाता है।

(घ) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई)

भारत सरकार ने अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं और आवास विद्युतीकरण योजना प्रारम्भ की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी आवासों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना और ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधा में सुधार लाना था।

यह स्कीम पूरे देश के लिए है। आरईसी आरजीजीवीवाई को कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है।

<u>स्कीम की मुख्य विशेषताएं</u>

1. स्कीम

इस स्कीम के उद्देश्य हैं पांच वर्षों में सभी ग्रामीण आवासों को बिजली उपलब्ध कराना।

- इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की लागत की 90 प्रतिशत पूंजी, सब्सिडि के रूप में दी जाएगी।
- राज्यों को विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी तथा ग्रामीण एवं शहरी आवासों के बीच आपूर्ति के घंटों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।
- योजना के अधीन परियोजनाओं को पूंजी सब्सिडि की पात्र बनने के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व राज्यों से निम्न प्रतिबद्धताएं प्राप्त करनी होंगीः
  - इस योजना के अधीन वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति, एवं
  - विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन राज्य संगठनों को अपेक्षित राजस्व सब्सिडि का यथा अपेक्षित प्रावधान।

2 कार्यक्षेत्र

इस योजना के अधीन परियोजनाओं को पूंजी सब्सिडि के साथ निम्न प्रावधान करने के लिए वित्तपोषित किया जा सकता हैः-

- ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी)
  - ब्लॉकों में उपयुक्तक्षमता एवं लाईनों के साथ 33/11 केवी (या 66/11 केवी) उप - केंद्रों और लाईनों का प्रावधान, जहां ये विद्यमान नहीं है।
- ग्राम विद्युतीकरण बुनियादी सुविधाओं (वीईआई) का सृजन
  - अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण।
  - अविद्युतीकृत वास स्थलों का विद्युतीकरण।
  - विद्युतीकृत गांवों/आवासों में उपयुक्तक्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था
- **विकेंद्रीत वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति**
  - उन गांवों, जहां ग्रिड संयोजन व्यवहार्य नहीं है अथवा किफायती नहीं है, के लिए परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन एवं वितरण।
  - उन दूरस्थ गांवों को वित्तपोषण हेतु कवर किया गया, जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्रम में शामिल नहीं ।

- आरईडीबी, वीईआई और डीडीजी कृषि एवं निम्नलिखित अन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगाः-
  - सिंचाई पंपसेट
  - लघु एवं मध्यम उद्योग
  - खादी एवं ग्राम उद्योग
  - कोल्ड चेन
  - स्वास्थ्य देख-भाल
  - शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

  यह समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार के सृजन एवं गरीबी उन्मूलन में सहायक होगा।

- गरीबी रेखा से नीचे के अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण:
  - सभी ग्रामीण बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण करने के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानकों के अनुसार उन्हें 100 प्रतिशत पूंजी सब्सिडि से वित्तपोषित किया जाएगा।
  - गरीबी रेखा से ऊपर के आवासों के स्वामियों को अपने कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित कनेक्शन प्रभार का भुगतान करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए कोई सब्सिडि उपलब्ध नहीं होगी।

3. फ्रैंचाइजी

- ग्रामीण वितरण के प्रबंध के लिए फ्रैंचाइजी तैनात किए जाएंगे जो गैर-सरकारी संगठन, उपयोक्ता संघ, सहकारी समितियां या अलग-अलग उद्यमी भी सकते हैं।
- पंचायती राज संस्थानों को फ्रैंचाइजियों के माध्यम से ग्रामीण वितरण के प्रबंध में पर्यवेक्षी/परामर्शी की भूमिका निभानी होगी। राज्य सरकारों को उस समय पंचायती राज संस्थानों को फ्रैंचाइजी का उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जब ये संस्थान करार की जिम्मेदारियां पूरी करने, बाजार से संसाधन जुटाने और संबंधित कानूनी उत्तरदायित्वों को निभाने में सक्षम हो जाएं।
- फ्रैंचाइजी व्यवस्था सब-स्टेशन से फीडरों के बिना या फीडरों सहित या वितरण ट्रांसफार्मर (ट्रांसफार्मरों) से और सहित तंत्र के लिए हो सकती है।
- उपभोक्ताओं के प्रकार और प्रचलित उपभोक्ता प्रशुल्क एवं संभावित लोड को ध्यान में रखते हुए फ्रैंचाइजी के लिए थोक आपूर्ति प्रशुल्क (बीएसटी) फ्रैंचाइजी की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के बाद निर्धारित किया जाएगा।
- राज्य यूटिलिटी अपनी राजस्व आवश्यकता और प्रशुल्क निर्धारण के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) के समक्ष जो मामला रखेंगे उसमें इस थोक आपूर्ति प्रशुल्क (बीएसटी) का पूरा विवरण दिया जाएगा।
- यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता वर्ग के लिए एसईआरसी द्वारा निर्धारित प्रशुल्क से कम प्रशुल्क निर्धारित करना चाहती है, तो वह विद्युत अधिनियम के अंतर्गत राज्य यूटिलिटियों को आवश्यक राजस्व सब्सिडी प्रदान करेगी।

4. सीपीएसयू की सेवाएं

- आरईसी ने विद्युत सेक्टर के सीपीएसयू के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं और पावरग्रिड, एनएचपीसी, एनटीपीसी और डीवीसी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

5. प्रौद्योगिकी विकास, क्षमता निर्माण आदि

- इस स्कीम के अंतर्गत दी जानी वाली कुल सब्सिडी के 1 प्रतिशत तक का उपयोग संबद्ध निर्माण कार्यों/अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास, क्षमता निर्माण, सूचना पद्धति विकास, जागरूकता और अन्य प्रशासनिक और संबद्ध खर्चों तथा किए जाने वाले बड़े अध्ययनों और इस ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम के पूरक रूप में प्रारंभ की गई परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

6. वर्तमान स्कीमों का विलयन

- वर्तमान '' एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों के त्वरित विद्युतीकरण '' और ग्रामीण विद्युतीकरण के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) को आरजीजीवीवाई स्कीम में मिला दिया गया है।

कार्यान्वयन रूपरेखा

आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के कारगर और द्रुत कार्यान्वयन के लिए सभी संबंद्ध राज्यों, राज्य विद्युत संगठनों और सीपीएसयू से विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित दस्तावेजों को मिलाकर एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है -

i. सीपीएसयू के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

ii. आरईसी, राज्य सरकार, राज्य विद्युत संगठन और संबंधित सीपीएसयू (यदि शामिल हो) के बीच करार

iii. परियोजना तैयार करने संबंधी दिशा-निर्देश

iv. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद संबंधी दिशा-निर्देश

v. आरईसी विनिर्देशों और मानकों में संशोधन

vi. फ्रेंचाइजी स्थापना संबंधी दिशा-निर्देश

राज्यों से अपेक्षित है कि वे विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दिए गए संगत उपबंधों के अनुरूप जिला विद्युत समितियां गठित करें और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को अधिसूचित करेंगे।

राज्यों से यह भी अपेक्षित है कि वे संबंधित ग्राम पंचायत से ग्राम के विद्युतीकरण के संबंध में लागू मानकों के अनुरूप आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे।

परियोजनाओं को मंजूरी

आरईसी द्वारा आरजीजीवीवाई के अधीन परियोजना तैयार करने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप संबंधित परियोजना प्रायोजित प्रधिकरण (राज्य सरकार) द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) राज्य में आरईसी के संबंधित/जोनल परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत की जाएंगी। तत्पश्चात् डीपीआर की जोनल/परियोजना कार्यालय द्वारा संवीक्षा और मूल्यांकन किया जाएगा और वह मंजूरी के लिए विचार किए जाने की अपनी सिफारिश के साथ इसे कारपोरेट कार्यालय के पास भेज देगा। पात्र परियोजनाओं को आरईसी की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमति दिए जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद अंतिम मंजूरी के लिए सचिव (विद्युत), भारत सरकार की अध्यक्षता में चलाई जा रही आरजीजीवीवाई मॉनीटरन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद आरईसी इस अनुमोदन की सूचना अपने संबद्ध जोनल/परियोजना कार्यालय को देगा जो परियोजना को प्रायोजित करने वाले प्राधिकरण (राज्य सरकार) को मंजूरी पत्र जारी करेगा।

निधि संवितरण

स्कीम के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां (पूंजी सबसिडी 90 प्रतिशत और ऋण 10 प्रतिशत की दर पर) संबंधित पक्षों के बीच किए गए संगत करार और परियोजना के लिए जारी किए गए आरईसी के मंजूरी पत्र के अनुरूप आरईसी द्वारा जारी की जाएगी।

आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकार आरईसी को उनकी ओर से परियोजना/परियोजनाओं के निर्माण के लिए होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए प्राधिकृत करती है और आरईसी द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को जारी की जाने वाली सारी राशि संबंधित राज्य सरकार द्वारा आहरित मानी जाती है।

यदि परियोजना का कार्यान्वयन स्कीम की नियत शर्तों के अनुसार संतोषजनक रूप से नहीं होता तो पूंजी सब्सिडी को ब्याज वाले ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है।

V ग्राहक/ग्राहकों की जिम्मेदारियां

कर्जदार इस कारपोरेशन से सुगमतापूर्वक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें, इसके लिए उनसे निम्नलिखित प्रयास/उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की अपेक्षा की जाती हैः**-**

i विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, प्रसंस्करण शुल्क (जहां लागू हो) देना और ऋण का आवेदन जांचसूची के अनुरूप अनिवार्य दस्तावेजों सहित आरईसी के फार्मेट में प्रस्तुत करना।

ii परियोजना की शीघ्र मंजूरी के लिए जब और जैसा अपेक्षित हो, प्राथमिकता के आधार पर अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराना

iii स्वीकृति को स्वीकार करने की जल्द सूचना देना

iv पूर्व वचनबद्धता की सभी शर्तों को पूरा करना

v प्रतिभूति सृजन सहित ऋण संबंधी दस्तावेजों को निर्धारित रूप में जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करना

vi संवितरण से पहले की अन्य शर्तों को पूरा करना

vii परियोजना निष्पादन समय तालिका प्रस्तुत करना और निधि प्राप्ति के लिए कार्यक्रम तैयार करना (जहां कहीं लागू हो)

viii मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज सहित दावे प्रस्तुत करना

ix नियत समय तालिका के अनुरूप कार्य निष्पादन करना

x मंजूरी पत्र की शर्तों के अनुरूप ब्याज का भुगतान और मूलधन की वापसी सही समय पर करना।

xi नियमित रूप से कार्य प्रगति की यथा निर्धारित रिपोर्ट प्रस्तुत करना

xii परियोजना की मंजूरी, मॉनीटरन और मूल्यांकन में सभी चरणों में शामिल सभी एजेंसियों के साथ सहयोग करना

VI संगठन सभी बांडधारकों, ऋणपत्र-धारकों और अन्य ऋणदाताओं के प्रति अपने दायित्व पूरे करने की जिम्मेदारी लेता है।

VII कारपोरेशन ने सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परस्पर सहमत समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है।

VIII कारपोरेशन ने जनता की शिकायतों के समाधान के लिए कारपोरेट कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत निवारण समिति गठित की है।